70

भारतीय

दस रुपये

रु.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH(हरिॐ)

35AA 289771

:: :: दस्तावेज विक्रय-पत्र :: ::

विक्रय मूल्य राशि 3,00,00,000/- रूपये

मुद्रांक शुल्क हेतु मूल्यांकन 3,00,00,000/- रूपये

मुद्रांक शुल्क	::	शासकीय मुद्रांक शुल्क रूपये	:	15,00,000/-
	::	जनपद पंचायत मुद्रांक शुल्क रूपये	:	3,00,000/-
	::	उपकर मुद्रांक शुल्क रूपये	:	75,000/-
	::	कुल मुद्रांक शुल्क रूपये	:	18,75,000/-

नाम विक्रेता :

1) **श्री लक्ष्मीनारायण**, आयु लगभग 52 वर्ष, आत्मज श्री हीरालाल पाटीदार, परिचय पत्र नं.-FKR3273455 एवं।

2) **श्री ओमप्रकाश**, आयु लगभग54 वर्ष, आत्मज श्री हीरालाल पाटीदार जाति-पाटीदार/गैरआदिवासी परिचय पत्र नं.-MP04N-2012-032-निवासीगण JL@6490346 9649 ग्राम मिसरोद, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.)। राष्ट्रीयता भारतीय। (जिसमें विक्रेता के उत्तराधिकारी, पार्टनर, वारिसान, एवं विक्रेता से हित रखने वाले सभी व्यक्ति एवं संबंधी विक्रेता के रूप में सम्मिलित है)।

नाम क्रेता :

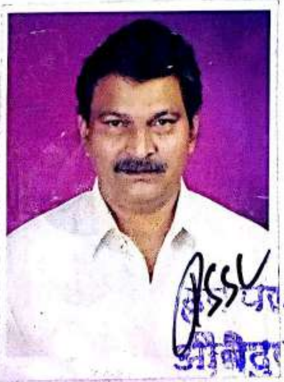

मेसर्स फॉर्च्यून रियलिटी पता-जी-01, कम्फर्ट गार्डन, चूनाभट्टी, कोलार रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पार्टनर

1) **मेसर्स फार्च्यून बिल्डर्स** PAN-AAAFF9122C पता-157, जोन-1, महाराणा प्रताप नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा भागीदार अ) श्री समीर गुप्ता आयु लगभग 50 वर्ष, आत्मज स्व. श्री एस. सी. गुप्ता, ब) श्री अजय मोहगाँवकर आयु लगभग 47 वर्ष, आत्मज श्री एस. डब्ल्यू. मोहगाँवकर। PAN- अ- AAYPG5991L ब- ADWPM2830M

...2...

उप पंजीयक औबेदुल्लागंज

भारतीय

दस रुपये

रु.10

INDIA N

रसीद दस्तावेज वगैरह

21 70 मुकाम 359

दस्तावेज की तफसील, तारीख व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
2	3	4
समीर गुप्ता वि० 3,00,00,000	2401752-00	

व 18 APR 2018

उप पंजीयक

5JAA 267772

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH (2)

2) **श्री राज अरोरा**, आयु लगभग 59 वर्ष, पुत्र श्री कृष्णलाल बिल्ला, निवासी–जी–01, कम्फर्ट गार्डन, चूनाभट्टी, कोलार रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (मध्यप्रदेश)। राष्ट्रीयता भारतीय। PAN-AARPA8491N

:: :: विक्रय की गयी भूमि/संपत्ति का विवरण :: ::

भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक–एल–डी–147408/एल–डी–147407

खसरा क्रमांक	रकबा	लगान
8/2 (आठ बटे दो)	0.688 हेक्टेयर/1.70 एकड़	5.91 रूपये
22/2 (बाईस बटे दो)	1.335 हेक्टेयर/3.30 एकड़	4.60 रूपये
11/2/2 (ग्यारह बटे दो बटे दो)	0.258 हेक्टेयर/0.64 एकड़	1.00 रूपये
12/2/2 (बारह बटे दो बटे दो)	0.141 हेक्टेयर/0.35 एकड़	0.45 रूपये
13/2/2 (तेरह बटे दो बटे दो)	0.178 हेक्टेयर/0.44 एकड़	0.58 रूपये
14/2/2 (चौदह बटे दो बटे दो)	0.238 हेक्टेयर/0.59 एकड़	0.70 रूपये
15/1 (पन्द्रह बटे एक)	1.113 हेक्टेयर/2.75 एकड़	3.71 रूपये

कुल रकबा (3.951) **3.952 हेक्टेयर/9.77 एकड़** अव्यपवर्तित/ अविकसित कृषि भूमि विक्रय की गयी है, जो कि **ग्राम–रोजड़ाचक**, पटवारी हल्का नम्बर–35, राजस्व निरीक्षक मंडल–चिकलोद कलाँ, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, तहसील–गौहरगंज, जिला रायसेन (मध्यप्रदेश) में नगर निगम एवं नगर पालिका की सीमाओं के बाहर निम्नलिखित चतुर्थसीमाओं में स्थित है :–

....3....

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH (3) 35AA 289773

दिशा पूर्व में	:	अन्य की भूमि
दिशा पश्चिम में	:	अन्य की भूमि
दिशा उत्तर में	:	रोड
दिशा दक्षिण में	:	ग्रामीण रास्ता

यह कि विक्रय की गयी कृषि भूमि सिंचित दो फसली कृषि भूमि है जो कि रोड से लगकर स्थित है, विक्रय की गई भूमि में वृक्ष फलदार या इमारतें या अन्य किसी प्रकार के नहीं है, तथा भूमि नगर पालिका क्षेत्र से बाहर ग्राम पंचायत क्षेत्र की है जो राष्ट्रीय राज मार्ग से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है, तथा भूमि विवादित नही है तथा इसके विक्रय किये जाने में कोई न्यायालयीन रोक नही है।

यह कि उक्त भूमि को इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग के घेरे में पूर्ण विवरण के साथ दर्शाया गया है, जो नक्शा इस दस्तावेज का एक महत्वपूर्ण अंश होगा।

:: :: **विक्रय मूल्य एवं अदायगी** :: ::

कुल प्रतिफल की राशि रूपये 3,00,00,000/- (रूपये तीन करोड़ रूपये मात्र) विक्रेता ने क्रेता से पूर्व में ही निम्नानुसार प्राप्त कर लिए है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :-

(1) राशि 5,13,000/- रूपये (पॉच लाख तेरह हजार रूपये मात्र) द्वारा चेक क्रमांक-126285, सिटी बैंक शाखा एम. पी. नगर भोपाल द्वारा।

(2) राशि 47,17,000/- रूपये (सैतालीस लाख सत्रह हजार रूपये मात्र) द्वारा चेक क्रमांक-126286, सिटी बैंक शाखा एम. पी. नगर भोपाल द्वारा।

(3) राशि 97,70,000/- रूपये (सन्ताब्बे लाख सत्तर हजार रूपये मात्र) द्वारा चेक क्रमांक-126287, सिटी बैंक शाखा एम. पी. नगर भोपाल द्वारा।

(4) राशि 5,13,000/- रूपये (पॉच लाख तेरह हजार रूपये मात्र) द्वारा चेक क्रमांक-220806, ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा अरेरा कालोनी भोपाल द्वारा।

....4..

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH (4) 35AA 289774

(5) राशि 47,17,000/– रूपये (सैतालीस लाख सत्रह हजार रुपये मात्र) द्वारा चेक क्रमांक–244021, केनरा बैंक शाखा अरेरा कालोनी भोपाल द्वारा।

(6) राशि 97,70,000/– रूपये (सन्ताब्बे लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) द्वारा चेक क्रमांक–244022, केनरा बैंक शाखा अरेरा कालोनी भोपाल द्वारा प्राप्त कर लिए है और अब विक्रय कीमत में विक्रेता को क्रेता से कोई राशि लेना शेष नही रहा है और न ही भविष्य में रहेगा।

:: :: **अन्य विवरण** :: ::

1. यह कि उक्त कृषि भूमि विक्रेता के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की पैतृक कृषि भूमि है, जिसे न्यायालय सक्षम प्राधिकारी अथवा शासन ने अधिग्रहित नहीं की है, और न ही भूमि का कब्जा लिया है, विक्रय की गयी भूमि आज तक निरन्तर विक्रेता के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है, जिसे विक्रय करने के विक्रेता को मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं।
2. यह कि विक्रीत भूमि को विक्रेता ने किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरण, दान, बंधक, गिरवी, रहन, वसीयत इत्यादि से ग्रसित नहीं किया है और न ही किसी व्यक्ति की जमानत इत्यादि ही दी है।
3. यह कि विक्रीत भूमि पर विक्रेता ने किसी भी व्यक्ति, वित्तीय संस्था, बैंक, सोसायटी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय आदि से कोई ऋण, कर्ज, भार आदि नहीं लिया है और न ही किसी भी कार्यालय जैसे बैंक, वित्तीय संस्था, सोसायटी, न्यायालय, पंचायत, नजूल, तहसील, कलेक्ट्रेट इत्यादि में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है, अर्थात् उक्त विक्रीत संपत्ति पाक व साफ होकर पूर्णतः भार रहित संपत्ति है।

....5....

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH (5) 35AA 289775

4. यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि पर आज पंजीयन दिनांक से पहले के जो भी बकाया जैसे लीज रेन्ट, व्यपवर्तन शुल्क, सोसायटी के बकाया, सरकारी या गैर-सरकारी ऋण, नगर निगम का संपत्ति कर आदि भविष्य में निकलते हैं, तो विक्रेता उन्हें अविलम्ब अदा करने के लिए पाबंद एवं जिम्मेदार रहेंगे, एवं आज पंजीयन दिनांक के पश्चात् के देय क्रेता द्वारा भुगतान किया जायेगा।

5. यह कि आज दिनांक को इस विक्रय पत्र के पंजीयन/निष्पादन के समय ही विक्रेता द्वारा विक्रीत संपत्ति का वास्तविक तथा भौतिक कब्जा/रिक्त आधिपत्य व दखल मालिकाना एवं विक्रीत संपत्ति से संबंधित सभी मूल दस्तावेज क्रेता को सौप दिया गया है, आज दिनांक से क्रेता विक्रीत संपत्ति के पूर्णरूपेण मालिक व स्वामी हो चुके हैं एवं अब क्रेता उक्त विक्रीत संपत्ति का जिस प्रकार चाहे उपयोग, उपभोग आदि करने के लिये स्वतंत्र है।

6. यह कि आज दिनांक के उपरांत विक्रेता व उनके वारिसों अथवा विक्रेता से हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति, परिवार सदस्य, संस्था का विक्रीत संपत्ति पर कोई हक, हिस्सा व दखल मालिकाना शेष नहीं रहा है, और न ही भविष्य में रहेगा, यदि कोई भी व्यक्ति विक्रीत संपत्ति के संबंध में दावा, झगड़ा या कोई न्यायालयीन कार्यवाही करता है तो वह असत्य, अवैधानिक तथा शून्य प्रभावी मानी जावे।

7. यह कि विक्रीत संपत्ति का कुल या उसका कोई भी भाग विक्रेता के स्वत्व त्रुटि, या किसी और दावेदारी के कारण क्रेता के आधिपत्य या स्वामित्व से निकल जावे अथवा विक्रेता के दोषपूर्ण स्वत्व के कारण क्रेता को कोई नुकसान उठाना पड़े, तो विक्रेता विक्रय मूल्य मय हर्जे खर्चे व नुकसान के साथ, एवं भूमि पर किये गये खर्चो का आकलन कर मय ब्याज सहित अपनी चल व अचल संपत्ति में से एकमुश्त राशि क्रेता को अविलम्ब अदा करने के लिए बाध्य, पाबंद एवं जिम्मेदार रहेगा।

....6

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

35AA 289776

8. यह कि विक्रेता के बताये अनुसार उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन नही है यदि भविष्य में किसी प्रकार की न्यायालयीन कार्यवाही की जानकारी क्रेता को प्राप्त होती है तो क्रेता द्वारा उसी समय दिये गये चकों का भुगतान रूकवा सकता है जिसमें विक्रेता को किसी भी प्रकार की न्यायालयीन कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नही होगा।

9. यह कि विक्रीत संपत्ति के नामांतरण के लिए क्रेता को अधिकार होगा कि वे इस विक्रय पत्र के आधार पर उक्त विक्रीत संपत्ति को संबंधित कार्यालयों के अभिलेखों में अपने नाम पर नामांतरित करा लेवें, जिसमें विक्रेता अपना हर प्रकार का सहयोग देने तथा तत्संबंधी दस्तावेज निष्पादित करने हेतु बाध्य, पाबंद एवं जिम्मेदार रहेगा।

10. यह कि उक्त क्रेता आज से उक्त विक्रयशुदा संपत्ति के बहैसियत मालिक व स्वामी हर प्रकार का लाभ उठावें, उसे रहन, विक्रय, हस्तांतरण, बंधक, गिरवी, वसीयत इत्यादि करें एवं हर प्रकार से लाभान्वित होंवे।

11. हम विक्रेता घोषणा करते हैं कि जो संपत्ति इस विलेख के साथ हस्तांतरित की जा रही है वह हमारे द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरित नही की गई है और न ही हमारे अथवा हमारे अटार्नी अथवा हमारे सहस्वामी द्वारा आज दिनांक तक बंधक, दान की गई है और न ही स्थायी रूप से अन्य संक्रान्त किया है। यदि ऐसा पाया जाता है तो इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे हमं भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 22(क) का कोई भी उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।

12. हम क्रेता उक्त संपत्ति के संबंध में घोषणा करते हैं कि हम भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 22(क) का उल्लंघन नही किया है।

....7..

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH (7) 35AA 289777

अतः यह विक्रय पत्र विक्रेता ने शुद्ध इन्द्रिय एवं स्वस्थ मन-मस्तिष्क की दशा में, बगैर किसी डर, दबाव अथवा प्रलोभन के, साथ राजी खुशी, सुन व समझकर, समक्ष साक्षीगण, निष्पादित कर दिया है, ताकि सनद् रहे एवं वक्त जरूरत पर काम आवे।

इति दिनांक :18/04/2013

पक्षकारों के द्वारा दी गयी जानकारी एवं तथ्यों के आधार पर मेरे द्वारा प्रारूपित किया गया।

(के. के. पाण्डेय, अधिवक्ता)

साक्षीगण :

1–

नाम :- VIKAS BATHMA

आत्मज :- S/O SHRI R.C. BATHMA

पता :- 1, Dayush Kunj KOLAR ROAD BHOPAL

परिचय पत्र नं. ALYPB2774R

हस्ता0 विक्रेता

2–

नाम :- VIJAY AMLE

आत्मज :- SHRI R.P. AMLE

पता :- 32/9A SAKET NAGAR BHOPAL

परिचय पत्र नं. MP04 D 2004 0173749

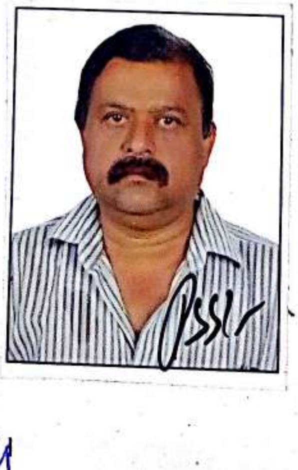

हस्ता0 क्रेता

नोट :- इस दस्तावेज में कोई काट-छांट नहीं है।

Scanned by CamScanner

2 9 MAR 20..

श्रीमति दीपिका तिवा
स्टाम्प विक्रेता
एम. पी. नगर भोपाल

18 APR 2013

A 1
2547 13
58 70 70

240145.00
30.00

240175.00

Scanned by CamScanner

A1/1212(2) 6599 6.12.13

भारतीय गै... येक

दस रुपये

Rs. 10

RUPEES

Rs.

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH (हरिॐ)

43AA 577707

:: :: दस्तावेज विक्रय-पत्र :: ::

विक्रय मूल्य राशि 1,50,00,000/- रूपये

मुद्रांक शुल्क हेतु मूल्यांकन 1,50,00,000/- रूपये

मुद्रांक शुल्क-	::	शासकीय मुद्रांक शुल्क रूपये	: 7,50,000/-
	::	जनपद पंचायत मुद्रांक शुल्क रूपये	: 1,50,000/-
	::	उपकर मुद्रांक शुल्क रूपये	: 37,500/-
	::	**कुल मुद्रांक शुल्क रूपये**	: **9,37,500/-**

नाम विक्रेता : **श्री अंकुर पाटीदार,** आयु लगभग 24 वर्ष, आत्मज श्री हरि पाटीदार जाति-पाटीदार/गैरआदिवासी, पेन नं.-BTKPP7344E, निवासी-ई-7, एम.आई.जी.-163, अरेरा कालोनी भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.)। राष्ट्रीयता भारतीय। (जिसमें विक्रेता के उत्तराधिकारी, पार्टनर, वारिसान, एवं विक्रेता से हित रखने वाले सभी व्यक्ति एवं संबंधी विक्रेता के रूप में सम्मिलित है)।

.....2

Scanned by CamScanner

BPL 6599

61 रसीद दस्तावेज वगैरह ~~A~~ 1/12/13

तर .... मुकाम ....

दस्तावेज की तफसील, तारीख व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
2	3	4
श्री समीर गुप्ता वि० 1,50,00,000	120175-	

उप पंजीयक

तारीख 04 DEC 2013

दस रुपये रु.10 INDIA TEN RUPEES 10

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 577714

नाम क्रेता : मेसर्स फॉर्च्यून रियलिटी PAN.AADFF3402G, पता–जी–01, कम्फर्ट गार्डन, चूनाभट्टी, कोलार रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पार्टनर

1) **श्री समीर गुप्ता,** आयु लगभग 50 वर्ष, आत्मज स्व. श्री एस. सी. गुप्ता, PAN No-AAYPG5997L,

2) **श्री अजय मोहगाँवकर,** आयु लगभग 47 वर्ष, आत्मज श्री एस. डब्ल्यू.मोहगाँवकर PAN No-ADWPM2830M

3) **श्री राज के. अरोरा,** आयु लगभग 59 वर्ष, आत्मज स्व. श्री किशनलाल बिल्ला, PAN No-AARPA8491N

:: :: विक्रय की गयी भूमि/संपत्ति का विवरण :: ::

भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका एल.–क्रमांक–डी.–147443

खसरा क्रमांक	रकबा	लगान
8/1 (आठ बटे एक)	2.023 हेक्टेयर/5.00 एकड़	3.54 रुपये

कुल रकबा **2.023 हेक्टेयर/5.00 एकड़** अव्यपवर्तित/ अविकसित कृषि भूमि विक्रय की गयी है, जो कि **ग्राम–रोजड़ाचक,** पटवारी हल्का नम्बर–35, राजस्व निरीक्षक मंडल–चिकलोदकलाँ, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, तहसील–गौहरगंज, जिला रायसेन (मध्यप्रदेश) में नगर निगम एवं नगर पालिका की सीमाओं के बाहर निम्नलिखित चतुर्थसीमाओं में स्थित है :–

दिशा पूर्व में	:	क्रेता की अन्य भूमि
दिशा पश्चिम में	:	क्रेता की अन्य भूमि
दिशा उत्तर में	:	क्रेता की अन्य भूमि
दिशा दक्षिण में	:	ग्रामीण कच्चा रास्ता

.....3

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH(3) 43AA 577709

यह कि विक्रय की गयी कृषि भूमि सिंचित कृषि भूमि है जो कि राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग एवं अन्य पक्के मार्ग से अन्दर स्थित है, विक्रय की गई भूमि में वृक्ष फलदार, या इमारती या अन्य किसी प्रकार के नहीं है, तथा भूमि नगर पालिका क्षेत्र से बाहर ग्राम पंचायत क्षेत्र की है जो राष्ट्रीय राज मार्ग से लगभग 10किलोमीटर दूर स्थित है, तथा भूमि विवादित नही है तथा इसके विक्रय किये जाने में कोई न्यायालयीन रोक नही है।

यह कि उक्त भूमि को इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग के घेरे में पूर्ण विवरण के साथ दर्शाया गया है जो नक्शा इस दस्तावेज का महत्वपूर्ण अंश होगा।

:: :: **विक्रय मूल्य एवं अदायगी** :: ::

कुल प्रतिफल की राशि रूपये 1,50,00,000/- (रूपये एक करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) विक्रेता ने क्रेता से पूर्व में ही निम्नानुसार प्राप्त कर लिए है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :-

(1) रूपये 35,00,000/- (रूपये पैंतीस लाख मात्र) द्वारा चेक क्रमांक-008651, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक भोपाल द्वारा।

(2) रूपये 58,00,000/- (रूपय अट्ठावन लाख मात्र) द्वारा चेक क्रमांक-008652, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक भोपाल द्वारा।

(3) रूपये 57,00,000/- (रूपये सत्तावन लाख मात्र) द्वारा चेक क्रमांक-008653, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक भोपाल द्वारा प्राप्त कर लिए है, और अब प्रतिफल राशि में विक्रेता को क्रेता से कोई राशि लेना शेष नही रहा है और न ही भविष्य में रहेगा।

.....4

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH(4) 43AA 577710

:: :: **अन्य विवरण** :: ::

1. यह कि उक्त कृषि भूमि मूल रूप से श्री सुरेन्द्र आत्मज श्री नारायणराव कोटगिरवार निवासी–ई–4/383, अरेरा कालोनी, भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि थी जिसे श्री सुरेन्द्र आत्मज श्री नारायणराव द्वारा श्री नूर खां आत्मज श्री सिकन्दर खां निवासी ग्राम रोजड़ाचक्र, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (मध्यप्रदेश) से पंजीयत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी जिसके पंजीयन का संपूर्ण विवरण उप पंजीयक कार्यालय, गौहरगंज, जिला रायसेन (मध्यप्रदेश) में दिनांक–04.07.1977, पुस्तक क्रमांक–अ–1, ग्रंथ क्रमांक–115, दस्तावेज क्रमांक–242, पर अंकित किया गया है। तत्पश्चात् श्री सुरेन्द्र आत्मज श्री नारायणराव द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा विक्रेता श्री अंकुर पाटीदार के हित में दिनांक–18.01.2005, को निष्पादित किया गया। तत्पश्चात् दुर्भाग्यवश श्री सुरेन्द्र का स्वर्गवास दिनांक–18.06.2005, को भोपाल में हो गया। तत्पश्चात् श्री सुरेन्द्र आत्मज श्री नारायणराव के स्वर्गवास के उपरांत उक्त वर्णित भूमि वसीयतनामा दिनांक–18.01.2005 के आधार पर विक्रेता को प्राप्त हुई, जिसका राजस्व अभिलेखों में नामांतरण भी विक्रेता श्री अंकुर पाटीदार द्वारा अपने पक्ष में करा लिया गया है, जिसे न्यायालय सक्षम प्राधिकारी अथवा शासन ने अधिग्रहित नहीं की है, और न ही भूमि का कब्जा लिया है, विक्रय की गयी भूमि आज तक निरन्तर विक्रेता के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है, जिसे विक्रय करने के विक्रेता को मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं।

2. यह कि विक्रित भूमि को विक्रेता ने किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरण, दान, बंधक, गिरवी, रहन, वसीयत इत्यादि से ग्रसित नहीं किया है और न ही किसी व्यक्ति की जमानत इत्यादि ही दी है।

.....5

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH(5) 43AA 577711

3. यह कि विक्रित भूमि पर विक्रेता ने किसी भी व्यक्ति, वित्तीय संस्था, बैंक, सोसायटी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय आदि से कोई ऋण, कर्ज, भार आदि नहीं लिया है और न ही किसी भी कार्यालय जैसे बैंक, वित्तीय संस्था, सोसायटी, न्यायालय, पंचायत, नजूल, तहसील, कलेक्ट्रेट इत्यादि में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है, अर्थात् उक्त विक्रीत संपत्ति पाक व साफ होकर पूर्णतः भार रहित संपत्ति है।

4. यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि पर आज पंजीयन दिनांक से पहले के जो भी बकाया जैसे लीज रेन्ट, व्यपवर्तन शुल्क, सोसायटी के बकाया, सरकारी या गैर-सरकारी ऋण, नगर निगम का संपत्ति कर आदि भविष्य में निकलते हैं, तो विक्रेता उन्हें अविलम्ब अदा करने के लिए पाबंद एवं जिम्मेदार रहेंगे, एवं आज पंजीयन दिनांक के पश्चात् के देय क्रेता द्वारा भुगतान किया जायेगा।

5. यह कि आज दिनांक को इस विक्रय पत्र के पंजीयन/निष्पादन के समय ही विक्रेता द्वारा विक्रीत संपत्ति का वास्तविक तथा भौतिक कब्जा/रिक्त आधिपत्य व दखल मालिकाना एवं विक्रीत संपत्ति से संबंधित सभी मूल दस्तावेज क्रेता को सौप दिया गया है, आज दिनांक से क्रेता विक्रीत संपत्ति के पूर्णरूपेण मालिक व स्वामी हो चुके हैं एवं अब क्रेता उक्त विक्रीत संपत्ति का जिस प्रकार चाहे उपयोग, उपभोग आदि करने के लिये स्वतंत्र है।

6. यह कि आज दिनांक के उपरांत विक्रेता व उनके वारिसों अथवा विक्रेता से हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति, परिवार सदस्य, संस्था का विक्रीत संपत्ति पर कोई हक, हिस्सा व दखल मालिकाना शेष नहीं रहा है, और न ही भविष्य में रहेगा, यदि कोई भी व्यक्ति विक्रीत संपत्ति के संबंध में दावा, झगड़ा या कोई न्यायालयीन कार्यवाही करता है तो वह असत्य, अवैधानिक तथा शून्य प्रभावी मानी जावे।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

43AA 577712

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH (6)

7. यह कि विक्रीत संपत्ति का कुल या उसका कोई भी भाग विक्रेता के स्वत्व त्रुटि, या किसी और दावेदारी के कारण क्रेता के आधिपत्य या स्वामित्व से निकल जावे अथवा विक्रेता के दोषपूर्ण स्वत्व के कारण क्रेता को कोई नुकसान उठाना पड़े, तो विक्रेता विक्रय मूल्य मय हर्जे खर्चे व नुकसान के साथ, एवं भूमि पर किये गये खर्चो का आंकलन कर मय ब्याज सहित अपनी चल व अचल संपत्ति में से एकमुश्त राशि क्रेता को अविलम्ब अदा करने के लिये बाध्य एवं जिम्मेदार रहेगा।

8. यह कि विक्रेता के बताये अनुसार उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन नही है यदि भविष्य में किसी प्रकार की न्यायालयीन कार्यवाही की जानकारी क्रेता को प्राप्त होती है तो क्रेता द्वारा उसी समय दिये गये चकों का भुगतान रूकवा सकता है जिसमें विक्रेता को किसी भी प्रकार की न्यायालयीन कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नही होगा।

9. यह कि विक्रीत संपत्ति के नामांतरण के लिए क्रेता को अधिकार होगा कि वे इस विक्रय पत्र के आधार पर उक्त विक्रीत संपत्ति को संबंधित कार्यालयों के अभिलेखों में अपने नाम पर नामांतरित करा लेवें, जिसमें विक्रेता अपना हर प्रकार का सहयोग देने तथा तत्संबंधी दस्तावेज निष्पादित करने हेतु बाध्य, पाबंद एवं जिम्मेदार रहेगा।

10. यह कि उक्त क्रेता आज से उक्त विक्रयशुदा संपत्ति के बहैसियत मालिक व स्वामी हर प्रकार का लाभ उठावें, उसे रहन, विक्रय, हस्तांतरण, बंधक, गिरवी, वसीयत इत्यादि करें एवं हर प्रकार से लाभान्वित होंवे।

11. मैं विक्रेता घोषणा करता हूँ कि जो संपत्ति इस विलेख के साथ हस्तांतरित की जा रही है वह मेरे द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरित नही की गई है और न ही मेरे अथवा मेरे अटार्नी अथवा मेरे सहस्वामी द्वारा आज दिनांक तक बंधक, दान की गई है और न ही स्थायी रूप से अन्य संक्रान्त किया है। यदि ऐसा पाया जाता है तो इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूँगा मैं भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 22(क) का कोई भी उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। 7

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH(7) 43AA 577713

12. हम क्रेता उक्त संपत्ति के संबंध में घोषणा करते हैं कि हम भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 22(क) का उल्लंघन नही किया है।

अतः यह विक्रय पत्र विक्रेता ने शुद्ध इन्द्रिय एवं स्वस्थ मन-मस्तिष्क की दशा में, बगैर किसी डर, दबाव अथवा प्रलोभन के, साथ राजी खुशी, सुन व समझकर, समक्ष साक्षीगण, निष्पादित कर दिया है, ताकि सनद् रहे एवं वक्त जरुरत पर काम आवे।

इति दिनांक :04/12/2013

पक्षकारों के द्वारा दी गयी जानकारी एवं तथ्यों के आधार पर मेरे द्वारा प्रारुपित किया गया।

(के. के. पाण्डेय, अधिवक्ता)

हस्ता0 विक्रेता

साक्षीगण :

1 -

नाम :- विकास बाथम

आत्मज :- श्री रमेश चन्द्र बाथम

पता :- 1, दानिश कुंज, कोलार रोड भोपाल

पेन नं. ALYPB2774R

हस्ता0 क्रेता

2 -

राधेश्याम

नाम :- श्री राधेश्याम मालवीय

आत्मज :- सेवालाल मालवीय

पता :- 152, एडी.पी नगर

भोपाल

परिचय पत्र नं. XFD0169376

उप पंजीयक औबेदुल्लागंज

नोट :- इस दस्तावेज में कोई काट-छांट नहीं है।

Scanned by CamScanner

25713
1000
3/12/13

कार्यालय उप पंजीयक
गौहरगंज, जिला रायसेन
18 NOV 2013

आनंद सिंह बाना
स्टाम्प विक्रेता
गौहरगंज

4 DEC 2013

की पुस्तक क्रमांक A1 अतिरिक्त
खंड 2601 के पृष्ठ 09 1212 (2)
59 से 67 तक क्र.
में पंजीकृत किया गया।
उप पंजीयक

मुद्रांक शुल्क
फीस शुल्क 120145 = 00
30 = 00
अतिरिक्त शुल्क
कुल शुल्क 120175 = 00
उप पंजीयक

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप पंजीयक

MADHYA PRADESH दस्तावेज विक्रय पत्र भूमि 3AA 567905

विक्रय भाव - 1,80,00,000/-

मुद्रांक शुल्क	9,00,000-00	ऋण पुस्तिका नम्बर एल क0ए 497954
ग्राम पं.शुल्क	1,80,000-00	भूमि स्थित ग्राम रौजड़ा चक
उप कर	45,000-00	प.ह.न.17(सत्रह)
नं.पं.शुल्क	00-00	राजस्व निरिक्षण मण्डल उमरावगंज
अधिक	60-00	तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
योग स्टाम्प	11,25,060-00	

विक्रेता सुरेश मीना

क्रेता

Scanned by CamScanner

A1 1660(1) 661

61 रसीद दस्तावेज वगैरह

मुकाम

दस्तावेज की तफसील, तारीख व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
2	3	4
समीर गुप्ता वि० 180,00,000	144175=00	

उप पंजीयक औबेदुल्लागंज

08 SEP 2013

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 43AA 567906

नाम विकेता भूमि

श्री जमना प्रसाद पाटीदार आयु लगभग 53 वर्ष, आत्मज श्री घासीराम पाटीदार जाति पाटीदार गैर आदिवासी निवासी – मिसरोद, तह. हुजूर जिला भोपाल, **द्वारा मुख्तारआम श्री सुरेश मीना** आयु लगभग 31 वर्ष, आ0 श्री भंवर जी मीना, जाति मीना गैर आदिवासी निवासी– ग्राम बंगरसिया तह. हुजूर जिला भोपाल, म.प्र. मुखतार नामा पंजीयन दिनांक 07/09/2013, ग्रंथ नं. 132, दस्ता. 155 उप पंजीयक कार्यालय औबेदुल्लागंज मे अंकित है, जो कि आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है, मुख्तारकर्ता जीवित है।

(राष्ट्रीयता भारतीय) परीचय पत्र नं. – FKB2349181

नाम केतागण भूमि

मैसर्स फारच्यून रियलटी रजिस्टर्ड आफिस जी–01 कम्फर्ट गार्डन चूना भट्टी कोलार रोड भोपाल द्वारा **पार्टनर 1. श्री समीर गुप्ता आयु लगभग** 49 वर्ष आ0 श्री एस. सी गुप्ता निवासी ए–31 बी.डी.ए कालोनी कोहेफिजा भोपाल, **2. श्री अजय मोहगावकर** आयु लगभग 47 वर्ष आ0 श्री एस.डबलू. मोहगावकर निवासी 481/7, अरेरा कालोनी भोपाल **3. श्री राज अरोरा आयु लगभग 54** वर्ष आ0 स्वं श्री किशन लाल अरोरा निवासी जी–01 कम्फर्ट गार्डन चूना भट्टी कोलार रोड भोपाल ।

विकय की जा रही सम्पत्ति का विवरण

भूमि स्थित ग्राम रोजड़ा चक प.ह.न. 17 रा.नि.म. गौहरगंज तह0 गौहरगंज जिला रायसेन

कं.	खसरा	ऐकड़	हैक्टेयर	लगान	ऋण पुस्तिका नं.
1.	5/1/4	6.00	2.428	9.00	एल. ए. 497954

सुरेश मीना

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

41AA 046193

3

भूमि की चतुर्थ सीमाएं

पूर्व में	श्री लक्ष्मी पाटीदार की भूमि
पश्चिम में	श्री फूल मियॉ की भूमि
उत्तर में	श्री विष्णु की भूमि
दक्षिण में	पहाड़ी

भूमि का वर्गीकरण

उक्त भूमि सिंचित एवं दो फसलीय है। उक्त भूमि मे न तो कोई फलदार वृक्ष है, और न ही कोई इमारती लकड़ी का वृक्ष है, उक्त भूमि चिकलोद रोड से 1/2 कि.मी. अंदर पर स्थित है। उक्त भूमि शासकीय पट्टे की नही है।

राशि का विवरण :- 1,80,00,000/- (एक करोड़ अस्सी लाख रूपये)

क्रमांक	चैक न.	राशि	बैंक
1.	008121	4,00,000/-	आई.सी.आई.सी बैंक भोपाल
2.	036256	45,00,000/-	आई.सी.आई.सी बैंक भोपाल
3.	036257	50,00,000/-	आई.सी.आई.सी बैंक भोपाल
4.	036258	50,00,000/-	आई.सी.आई.सी बैंक भोपाल
5.	036261	30,00,000/-	आई.सी.आई.सी बैंक भोपाल
5.	नगद	1,00,000/-	
	कुल राशि	1,80,00,000/-	

विक्रेता सुरेश/भगा

क्रेता ....

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH #4# 43AA 567908

अन्य विवरण

यह कि उपरोक्त विक्रय कृषि भूमि का मै विक्रेता एक मात्र मालिक, काबिज व भू-स्वामी हैं। उक्त सम्पत्ति विक्रेता की क्रय शुदा संपत्ति है। उक्त संपत्ति श्री जमना प्रसाद पाटीदार आयु लगभग 53 वर्ष, आत्मज श्री घासीराम पाटीदार निवासी - मिसरोद, तह. हुजूर जिला भोपाल, ने श्री सुरेश मीना आयु लगभग 31 वर्ष, आ0 श्री भंवर जी मीना, निवासी- ग्राम बंगरसिया तह. हुजूर जिला भोपाल को अपने हिस्से की भूमि का मुख्तारआम नियुक्त कर उक्त भूमि को विक्रय करने का अधिकार दिया गया है। इसी अधिकार के अन्तगर्त उक्त भूमि विकय कर रहा हूॅ । केता भूमि ने उक्त भूमि हमारे हित एवं अधिपत्य की है, इसमे विकेता भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति शामिल शरीक नही है। उक्त विकय कृषि भूमि पर मैं विकेता का ही भौतिक वैधानिक कब्जा व दखल मालिकाना पूर्ण स्वत्व, स्वामित्व मे है, एवं निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा है उक्त भूमि हर प्रकार के मतालबात शासकीय, अशासकीय व अर्द्धशासकीय कार्यालयों किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है, जिस पर कोई ऋण व भार भी नहीं है, जो किसी की जमानत, वसीयत, मेहर, हिबा, दान, गारंटी बंधक आदि से मुक्त है, जिसमें हम विकेता के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हिस्सेदार व भागीदार भी नहीं है, उपरोक्त कृषि भूमि को विक्रेय' हस्तांतरण करने के संपूर्ण वैधानिक अधिकार मुझ विकेता को प्राप्त है।

विक्रेता सुरेश मीना

क्रेता

Scanned by CamScanner

भारतीय

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

5

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

43AA 567909

1. यह कि उपरोक्त भूमि विक्रय करके कहीं और भूमि क्रय करना चाहते है इसलिये उपरोक्त वर्णित संपत्ति/ कृषि भूमि कुल दर्शाए अनुसार उपरोक्त केता से वसूल पाने के बाद, अब विक्रय कीमत में एक भी पैसा लेना शेष नही रहा, और न भविष्य में रहेगा, तथा उक्त कृषि भूमि केता को सदैव के लिये सर्वाधिकार सहित विक्रय कर उक्त भूमि का पंजीयन केता के नाम कर रहा हूँ।

2. यह कि मुझ विकेता ने विक्रय कृषि भूमि पर, केता को मौके पर खाली हालत तथा चतुर्थ सीमाऐ बतलाकर गवाहों के समक्ष भौतिक वैधानिक कब्जा व दखल मालिकाना पूर्ण स्वत्व स्वामित्व एव आधिपत्य सौंप दिया है, और विकेता ने अपना कब्जा व दखल मालीकाना सदैव के लिये समाप्त कर लिया है। अब आज से उपरोक्त केता, विक्रय कृषि भूमि स्थित ग्राम रौजड़ा चक तहसील गौहरगंज जिला रायसेन के पूर्ण रुप से मालिक, काबिज व भू स्वामी हो चूके हैं। अब विक्रय कृषि भूमि से मुझ विकेता का, तथा मेरे अन्य सभी वैधानिक वारिसानों, संतानों, उत्तराधिकारियों, आदि का तथा, मुझ विकेता से हित रखने वाले सभी व्यक्तियों का, कोई वास्ता या सरोकार शेष नही रहा, और न भविष्य में रहेगा ।

3. यह कि विक्रय कृषि भूमि पर आज दिनांक से पूर्व के जो भी मतालबात शासकीय व अशासकीय, बकायाजात, टेक्सेस, लगान या किसी अन्य व्यक्ति, विभाग की किसी प्रकार की कोई देनदारी आदि निकली तो, उसे मुझ विकेता पूर्ण रूप से अदा करने की पाबंद व जिम्मेदार रहेगे । केता से किसी भी अवशेषो का नाता या सम्बंध नही होगा।

विक्रेता सुरेश मीना

क्रेता

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

6#

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 43AA 567910

4. यह कि अब आज से केता विकय संपत्ति कृषि भूमि स्थित ग्राम रौजड़ा चक तहसील गौहरगंज जिला रायसेन के पूर्ण रुप से मालिक, काबिज व भू स्वामी हो चुका हैं । अब केता को अधिकार होगा कि वह इस विकय पत्र के आधार पर, विकय कृषि भूमि का नामांतरण तहसील व राजस्व रिकार्ड में अपने नाम पर करा लें, हम विकेता ने नामांतरण फार्म एवं सहमति पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा नामांतरण हेतु विक्रेता हर प्रकार का सहयोग बिना मुआवजा, उपरोक्त केता को देने का पाबंद व जिम्मेदार रहॅगा । अब केता को अधिकार होगा कि वह विधिवत राजस्व न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत कर के अपने नाम उक्त भूमि का नामान्तरण स्वीकृत करवाले यदि मुझ विकेता की आवश्यकता पड़ी तो मैं भी अपने कथन सक्षम न्यायालय मे उपस्थित हो कर केता भूमि के हित मे दे दूगां । जिससे कि केता को किसी प्रकार की आपत्ती न हो सके ।

5. यह कि अब केता को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विकय कृषि भूमि का जैसा चाहे वैसा उपयोग/उपभोग करें, कृषि भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति व्यक्ति को विकय हस्तांतरण, रहन, बंधक, दान, वसीयत आदि करें। उस पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि से ऋण व भार प्राप्त करें । तथा हर प्रकार से लाभ उठायें ।इसमे मुझ विकेता या मेरे किसी उत्ताधिकारीयों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी ।भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 22 (क) का उल्लघंन नही किया गया इस विकय पत्र से म0प्र0 भू - राजस्व 1959 की किसी भी धारा का उल्लघंन नही होता है ।

विक्रेता सुरेश मीना

क्रेता ....

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH #7# 43AA 567911

अस्तुतः यह विक्रेता-पत्र हमने साथ राजी-खुशी बिना किसी दबाव के बिना किसी नशा-पत्ता किए स्वस्थ दशा में लिखवाकर सुन-समझकर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी कर दिए कि प्रमाण रहे और वक्त-समय पर काम आवे। इति दिनांक - 18/09/2013

प्रारूपित किया गया -

जुनेद अनसार अहमद (अधिवक्ता)

गौहरगंज लॉ चेम्बर - 9425600298

हस्ताक्षर विक्रेता ....

(विक्रेता की और से मुख्तारआम)

हस्ताक्षर क्रेतागण 1..................

2. ....

3. ....

1. साक्षी ....

नाम श्री मोहनदास आ. श्री आत्माराम

निवासी 14, रोधाडा तह. गौहरगंज जिला रायसेन

V.I.No. MP/31/245/201222

2. साक्षी ....

नाम विकास बाथम आ. श्री आर.सी.बाथम

निवासी म.नं. 1, दानिश कुंज कोलार रोड भोपाल।

AADHAR.No. 7171 3528 7840

नोट :-इस दस्तावेज में कोई काँट-छाँट नहीं है।

औबेदुल्लागंज औबेदुल्लागंज

विक्रेता सुरेश मीना

क्रेता

Scanned by CamScanner

18 SEP 2013

आज दिनांक

को पुस्तक संख्या A1 अतिरिक्त

जिल्द 51 के पृष्ठ 8

से 41 तक क्रमांक 660(1)

पर रजिस्टर्ड पंजीकृत किया गया।

औबेदुल्लागंज

उप पंजीयक

स्टाम्प शुल्क

कोर्ट शुल्क 144145/-

पंजीयन शुल्क 30/-

पृष्ठांकन शुल्क

प्रतिलिपि शुल्क

नकल शुल्क

अतिरिक्त शुल्क

कुल शुल्क 144175/-

उप पंजीयक

मोहन कुमार

स्टाम्प विक्रेता

औबेदुल्लागंज

Scanned by CamScanner